राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या 5505/2016

Tarif Son of Shri Iliyas, Aged about 29 Years, By Caste Mev Musalman, Resident of Gram Godhan, Tehsil Tijara, Distt. Alwar (Raj).

...Petitioner-Accused

Versus

State of Rajasthan through Public Prosecutor.

....Non-Petitioner-Respondent

आदेश दिनांक: 27.10.2016

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री हरिकृष्ण शर्मा, अधिवक्ता-याची की ओर से।
श्रीमती मीनाक्षी पारीक, लोक अभियोजक।

याची तारिफ ने यह याचिका धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना भिवाडी फेज-3, जिला- अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 372/2014 अन्तर्गत धारा 379, 120बी भा.दं.सं. तथा 41/42 वन अधिनियम की समस्त कार्यवाही को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

विद्वान अधिवक्ता याची ने निवेदन किया है कि याची के पास वक्त जांच वैद्य रवन्ना था। उसके बावजूद वैद्य रवन्ना की अनदेखी कर याची के विरूद्ध झूंठा मुकदमा दर्ज किया है। अत: अनुसंधान अधिकारी को याची द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और रवन्ना पर अनुसंधान के दौरान विचार कर अनुसंधान का नतीजा निकालने हेतु निर्देशित किया जावे।

सुना गया।

याची द्वारा आज से 10 दिवस के भीतर यदि कोई प्रतिवेदन मय दस्तावेज पेश किया जाता है तो उक्त प्रकरण में आरोप पत्र पेश नहीं होने की स्थिति में अनुसंधान अधिकारी प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों पर अनुसंधान के दौरान विचार कर याची के विरूद्ध

अपना कोई निष्कर्ष निकाले तथा अनुसंधान का नतीजा संबंधित न्यायालय में पेश करे।

तदनुसार याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

मित्तल/95